निपटारे की स्कीम (सेटलमेंट स्कीम) 2020

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) बाजार पर लगातार निगरानी रखता है, इसी के चलते भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की जानकारी में ऐसे कई मामले आए हैं जहाँ कुछ एंटिटियाँ बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध (लिस्टिड) स्टॉक विशेष के ऑप्शन्स में सौदेबाजी (ट्रेडिंग) करके अपना लगातार नुकसान कर रही थीं । इन एंटिटियों द्वारा की जा रही सौदेबाजी (ट्रेडिंग) सामान्य नहीं लग रही थी, क्योंकि लगातार यही देखने में आ रहा था कि वे सौदेबाजी (ट्रेड) करके अपना काफी ज्यादा नुकसान कर रही थीं क्योंकि वे एंटिटियाँ या तो उसी दिन या फिर अगले दिन उन्हीं दूसरे पक्षों (काउंटरपार्टीज़) के साथ उन सौदों (ट्रेड) को उलट देती थीं ।

2. इसलिए, 1 अप्रैल, 2014 से 30 सितम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के स्टॉक ऑप्शन्स खंड (सेगमेंट) में हुई सौदेबाजी (ट्रेडिंग) का विश्लेषण किया गया । यह पाया गया कि ऐसी कई एंटिटियाँ थीं जो लगातार अपना काफी ज्यादा नुकसान कर रही थीं, जबकि दूसरी एंटिटियों ने बीसएसई में स्टॉक ऑप्शन्स के सौदों (ट्रेड) को उलटकर (रिवर्स करके) लगातार काफी मुनाफा कमाया था । यह देखने में आया कि बीएसई के स्टॉक ऑप्शन्स खंड (सेगमेंट) में सौदेबाजी (ट्रेड) करने वाली 21,652 एंटिटियों में से, 14,720 एंटिटियाँ तो उसी दिन बनावटी सौदे डालकर / सौदों को उलटकर (रिवर्स करके) बनावटी ढंग से यह दिखाने में लगी हुई थीं कि बहुत ज्यादा सौदेबाजी हो रही है ।

3. इस प्रकार जो 14,720 एंटिटियाँ बनावटी सौदे डालकर / सौदों को उलटकर (रिवर्स करके) बनावटी ढंग से यह दिखाने में लगी हुई थीं कि बहुत ज्यादा सौदेबाजी हो रही है, उनमें से 567 एंटिटियों के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियाँ (अड्जूडिकेशन प्रोसीडिंग्स) शुरू कर चुका है ।

4. इसी दौरान, माननीय प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने आर.एस. इस्पात लि. बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के मामले में अपने तारीख 14 अक्तूबर, 2019 के आदेश के माध्यम से, *अन्य बातों के साथ-साथ,* कुछ इस प्रकार निदेश दिए:

> *... हम आज इस मामले को स्थगित कर रहे हैं, ताकि सेबी इललिक्विड स्टॉक ऑप्शन्स के संबंध में विवाद का निपटारा या तो लोक अदालत के जरिये या फिर कोई अन्य वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाकर करने पर विचार कर सके ।*

5. उपरोक्त के मद्देनज़र, बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 [सेबी (सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स) रेग्यूलेशन्स, 2018] के विनियम 26 के अनुसार निपटारे की स्कीम (**"स्कीम"**) लाने का निर्णय लिया है । इस स्कीम के तहत उन एंटिटियों को निपटारे

(सेटलमेंट) का अवसर (जो केवल एक ही बार मिलेगा) प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है, जिन्होंने 1 अप्रैल, 2014 से 30 सितम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान बीएसई के स्टॉक ऑप्शन्स खंड (सेगमेंट) में सौदों को उलटा था और जिनके खिलाफ कोई कार्यवाही चल रही हो ।

6. बोर्ड ने निपटारे की सूचक राशि (इंडीकेटिव सैटलमेंट अमाउंट) तय करने के लिए तीन मानदंडों पर विचार किया है, यानि कि बनावटी ढ़ंग से कितनी सौदेबाजी (आर्टिफिशियल वॉल्यूम) गढ़ी गई, कितने बनावटी सौदे डाले गए और कितने ऐसे कॉण्ट्रैक्ट्स किए गए जिनकी वजह से बनावटी ढ़ंग से सौदेबाजी (आर्टिफिशियल वॉल्यूम) गढ़ी गई / बनावटी सौदे डाले गए । इसके अलावा, जिन मामलों में एंटिटियों ने सौदे उलटे थे, उन सभी मामलों में निपटारे की सूचक राशि (इंडीकेटिव सैटलमेंट अमाउंट) तय करते समय 0.55 का एकसमान सैटलमेंट फैक्टर लागू होगा ।

7. जिन एंटिटियों ने 1 अप्रैल, 2014 से 30 सितम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान बीएसई के स्टॉक ऑप्शन्स खंड (सेगमेंट) में सौदे उलटे (रिवर्स किए), उन एंटिटियों के संबंध में हर मामले में बनावटी ढ़ंग से कितनी सौदेबाजी (आर्टिफिशियल वॉल्यूम) गढ़ी गई, कितने बनावटी सौदे डाले गए और कितने ऐसे कॉण्ट्रैक्ट्स किए गए जिनकी वजह से बनावटी ढ़ंग से सौदेबाजी (आर्टिफिशियल वॉल्यूम) गढ़ी गई / बनावटी सौदे डाले गए, उनके अनुसार इस स्कीम के तहत हर मामले में निपटारे की सूचक राशि (इंडीकेटिव सैटलमेंट अमाउंट) के ब्यौरे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के वेबसाइट पर और बीएसई के वेबसाइट पर दिए हुए हैं ।

स्कीम के ब्यौरे:

पात्रता: इस स्कीम के तहत, जिन एंटिटियों ने 1 अप्रैल, 2014 से 30 सितम्बर, 2015 तक की अवधि के दौरान बीएसई के स्टॉक ऑप्शन्स खंड (सेगमेंट) में सौदे उलटे (रिवर्स किए) थे और जिनके खिलाफ कोई कार्यवाही चल रही हो, वे एंटिटियाँ निपटारे के अवसर का लाभ उठा सकती हैं जो केवल एक ही बार मिलेगा ।

स्कीम की अवधि: एक ही बार मिलने वाले निपटारे के अवसर का लाभ 01.08.2020 से 31.10.2020 तक (ये दोनों दिन शामिल हैं) उठाया जा सकता है ।

निपटारे का आवेदन:

इस स्कीम के तहत निपटारे के लिए आवेदन (जिसका अवसर केवल एक ही बार के लिए प्रदान किया जा रहा है) करने की इच्छुक एंटिटी निपटारे का आवेदन सेबी के वेबसाइट तथा बीएसई के वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्मेट में प्रस्तुत करेगी, जिसके साथ आवेदन फीस [व्यक्तियों के मामले में `15,000 और निगमित निकायों (बॉडी कॉरपोरेट) के मामले में `25,000] भी अदा करनी होगी ।

भुगतान का माध्यमः निपटारे (सेटलमेंट) की रकम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म (जिसके लिए आप सेबी के वेबसाइट का यह लिंक देखें) के जरिए अदा की जाएगी ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जो एंटिटियाँ केवल एक ही बार के लिए प्रदान किए जा रहे निपटारे के इस अवसर का लाभ नहीं उठा पातीं, तो इस स्कीम की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उन एटिटियों पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी एक्ट, 1992) की धारा 15-झ (15-आई) के तहत कार्रवाई की जा सकेगी ।

मुंबई,
27 जुलाई, 2020

XXXXXXXXXXXXXXXX